न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
173/2019	27.09.2019	11.02.2023

उनवान

1– सोनिया पुत्री गोरू पत्नि कालूलाल जाति गूजर निवासी वार्ड नं0 2 ठीकरिया कलां तहसील बूंदी राज0

2– मनीषा पुत्री गोरू जाति गूजर निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

3– कैलाश पुत्री गोरू जाति गूजर निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादियागण)

बनाम

1– धापू पत्नि (बेवा) गोरू जाति गूजर निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा

2– दीपकंवर पुत्री गोरू जाति गूजर निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादियागण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम शोली तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 986 रकबा 0.76 हे0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादियागण एवं प्रतिवादिया क्रम 1 व 2 का हिस्सा 1/8 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह कि उक्त विवादित आराजियात वादीयागण के नाम राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाते दर्ज चली आ रही है जिस पर वादियागण अपने अपने 3/40 भूमि पर काबिज काश्त करती चली आ रही है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिया क्रम 1 का नाम सोना, वादिया क्रम 2 का नाम मोना व वादिया क्रम 3 का नाम बीला है जो वादियागण का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हो गया है। गलत अंकन होने से कई प्रकार की परेशानिया वादियागण को हो रही है।

यह कि उक्त राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादियागण के नाम दर्ज हो गये है जबकि वादिया क्रम 1 का नाम सोनिया, वादिया क्रम 2 का नाम मनीषा , वादिया क्रम 3 का नाम कैलाश वास्तविक नाम है। जो वादयिगण के नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व पहचान पत्र व बैंक खाता , सरकार दस्तावेज एवं राशनकार्ड मे सही नाम अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादियागण का नाम सोना, मोना, बीला के स्थान पर सोनिया, मनीषा , कैलाश नाम दर्ज किया जावे, यही वादियागण का शुद्व व सही नाम है।

Surendra
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

यह कि वादियागण ने प्रतिवादी क्रम 3 से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करने के लिए निवेदन किया परन्तु अन्तिम बार दिनांक 20.09.2019 को प्रतिवादी क्रम 3 से निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा साफ इन्कार कर दिया, इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ। इस कारण वाद पत्र प्रस्तुत आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादियागण का निवेदन है कि वादियागण के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 3 के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:-

अतः वादियागण ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम शोली तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 986 रकबा 0.76 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादियागण के नाम की त्रुटि को दुरूस्त कर सोना के स्थान पर सोनिया, मोना के स्थान पर मनीषा , बीला के स्थान पर कैलाश नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर बतौर खातेदार कृषक घोषित कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी क्रम 3 की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी क्रम 3 तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब में स्पष्ट किया है कि खाते मे दर्ज नाम सोना, मोना, बीला बोलता नाम है जबकि इनका वास्तविक नाम सोनिया, मनीषा, कैलाश है। प्रतिवादिया सोना व सोनिया, मोना व मनीष , बीला व कैलाश एक ही महिलाओं के नाम है।

वादियागण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादियागण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादियागण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शोली तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 986 रकबा 0.76 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादियागण के नाम की त्रुटि को दुरूस्त कर सोना के स्थान पर सोनिया उर्फ सोना, मोना के स्थान पर मनीषा उर्फ मोना , बीला के स्थान पर कैलाश उर्फ बीला दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली मे अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)